न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00392

1. महेन्द्र सिंह
2. नरेन्द्र सिंह पिसरान श्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासीगण बालचन्दपाडा बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 07.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 24.02.1972 को अप्रार्थी श्री अमर सिंह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया था और दिनाक 28.02.72 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था जिसमें ग्राम गोपाल निवास की 311 बीघा 07 बिस्वा भूमि अधिग्रहित किये जाने का आदेश पारित किया गया था । ग्राम गोपाल निवास एवं मालीपुरा तहसील व जिला बून्दी अप्रार्थी श्री अमर सिंह की जागीर के गॉव थे यह जागीर पुश्तैनी थी और श्री अमर सिंह के पूर्वजों के समय से चली आ रही थी । इस जागीर का पट्टा तत्कालीन जागीरदार श्री अमरसिंह आत्मज हनुमान सिंह के पक्ष में बून्दी स्टेट के तत्कालीन शासक राजा श्री बहादुर सिंह जी ने दिनाक 25.08.1947 को जारी किया था । पुश्तैनी जागीर होने के कारण अप्रार्थी श्री अमर सिंह के पुत्र महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह का इस प्रकरण से सम्बन्धित आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित था । दोनों प्रार्थीगण दिनांक 01.04.66 को व्यस्क थे । प्रार्थीगण को

इस प्रकरण में नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है । इस आधार पर एकपक्षीय निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अप्रार्थी अमर सिंह वृद्ध एवं बीमार थे जिनका बीमारी से निधन हो गया था किन्तु कायममुकमान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । उनके पुत्र महेन्द्र सिंह एवं नरेन्द्र सिंह भारतीय सेना में नियुक्त थे । इस कारण उन्हें इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । निर्णय दिनांक 28.02.72 में अप्रार्थी श्री अमर सिंह एवं प्रार्थीगण को विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और गोपाल निवास की 311 बीघा 07 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश पारित कर दिया । इन समस्त तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने योग्य है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28.02.72 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित कृषि भूमियॉ पुश्तैनी जागीर की सम्पत्ति हैं और अपीलान्ट प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है किन्तु उन्हें प्रकरण में काई नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से न्याय के नैसर्गिक अधिकार का हनन हुआ है । स्व0 अमर सिंह आत्मज हनुमान सिंह वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति थे जिनका बीमारी से निधन हो गया था किन्तु राज्य सरकार ने मूल सीलिंग प्रकरण में कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आवेदन नहीं किया और कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । अपीलान्ट भारतीय सेना में नियुक्त थे । इस कारण उनको सीलिंग प्रकरण की जानकारी नहीं हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने सीलिंग प्रकरण में स्व0 अमर सिंह एवं उनके दोनों पुत्र अपीलान्ट के तीन यूनिट माने जाकर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए था क्योंकि अपीलान्ट प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर जन्मजात अधिकार होने से अमर सिंह पर आश्रित नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को भूमि अधिग्रहण के लिए विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश निरस्त नहीं करके कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है जिससे अपीलान्ट के वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28.02.1972 को निरस्त करने हेतु पेश किया गया है । दिनांक

28.02.1972 को ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी की 300 बीघा 11 बिस्वा आराजी को अधिग्रहित करने का आदेश पारित किया गया था । ग्राम गोपाल निवास एवं मालीपुरा स्वर्गीय अमरसिंह जी की जागीर के ग्राम थे इनका पट्टा बून्दी स्टेट के द्वारा जारी किया गया था । पुश्तैनी जागीर होने के कारण अपीलान्ट प्रार्थीगण का जन्म से ही इसमें अधिकार निहित था । दोनों प्रार्थीगण दिनांक 01.04.66 को वयस्क हो गये थे परन्तु अपीलान्टगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अमर सिंह जी बीमार रहते थे और उनका निधन हो गया । सरकार ने कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन नहीं किया । कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया और मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.1972 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र 40 वर्ष के विलम्ब से पेश किया गया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 39/08 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.1972 को निरस्त करने हेतु आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत दिनांक 28.02.2012 को पेश किया है जो कि 40 वर्ष के विलम्ब से पेश किया गया है । विलम्ब के लिए धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम प्रटवारी हल्का द्वारा बताने पर 08–10 दिन पूर्व हुई है । अपीलान्ट प्रार्थीगण का यह कथन तार्किक प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्टगण स्वयं को 1972 में निर्णय के समय वयस्क बताते हैं और वर्तमान में अपने उम्र 72 एवं 74 वर्ष बताते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को 40 वर्ष में निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी, उन्होंने कभी राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया यह तार्किक एवं उचित प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा